पत्र सं0-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूटराईजेशन (S/W) /2010-11/ १०० /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ:: १८, जनवरी, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

VYAS के वर्तमान माड्यूल में हाल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं जिसकी सूचना आपको ई-मेल से प्रेषित की जा चुकी है। यह परिवर्तन रिटर्न के प्रारुप में PAN नं0 की फील्ड बढ़ाने, रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची एवं अर्थदण्ड की नोटिस Generate करने तथा पंजीयन की प्रास्थिति अथवा अन्य विवरणों में किए गये परिवर्तन को सीधे केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड करने से सम्बन्धित है। इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

1- वैट नियमावली में निर्धारित मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिटर्नों के प्रारुप में संशोधन करके इसमें PAN नं0 का एक कालम बढ़ा दिया गया है। तद्नुसार VYAS माड्यूल में भी परिवर्तन करके रिटर्न व रसीद के प्रारुपों में भी PAN नं0 की फील्ड बढ़ा दी गयी है जो दिनांक 01-01-2011 के बाद दाखिल किये जाने वाले रिटर्नों में अनिवार्य रुप से भरी जायेगी। अत: माह जनवरी में प्राप्त होने वाले रिटर्नों के साथ PAN नं0 अवश्य लिया जाय। एक बार सर्वर में PAN नं0 का विवरण आ जाने के बाद यह रसीद में स्वत: प्रदर्शित होने लगेगा तथा बाद में दाखिल होने वाले रिटर्नों में इसका विवरण भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

2- रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची तथा अर्थदण्ड की नोटिस Generate करने के लिए सभी कर निर्धारक अधिकारियों को सर्वप्रथम माड्यूल में अपने खण्ड के सभी व्यापारियों के रिटर्न की Frequency (मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक) चिन्हित करनी होगी। यह कार्य अधिकतम 28 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 31-01-2011 तक प्रत्येक ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा upct_comp@rediffmail.com पर मुख्यालय को भेजा जाये।

व्यापारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्नों की Frequency उपरोक्तानुसार चिन्हित कर लेने पर नियत तिथि तक रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची तथा व्यापारी को धारा 54(1) में दी गयी सारिणी के क्रमांक 1(a) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अर्थदण्ड की नोटिस जनरेट की जा सकेगी। समस्त कर निर्धारण अधिकारी आगामी माह की 21 तारीख को ऐसे व्यापारियों की सूची व अर्थदण्ड की नोटिस जनरेट कर लेंगे तथा हस्ताक्षरोपरान्त जोटिस जारी कर देंगे। यह कार्यवाही प्रत्येक माह की 21 तारीख को की जायेगी परन्तु ध्यान रखा जाय कि रु0 50 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी यदि माह दिसम्बर 2010 / दिसम्बर त्रैमास का ई-रिटर्न दाखिल नही करते हैं, परन्तु निर्धारित तिथि दिनॉक 20 जनवरी 2011 तक मैनुअल रिटर्न दाखिल नही कर देते हैं, तो उनके विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही नही की जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पूर्व में ही परिपत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्र पत्रावली भाग-2 (2010-2011) / 1715 / 1011081 / वाणिज्य कर दिनॉक 07-01-2011 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

शेष पृष्ठ-2 पर

3- उक्त नोटिस जारी करने के पहले यह भी देख लिया जाये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यापारी द्वारा ई-रिटर्न दाखिल किया गया है परन्तु वह लोकल सर्वर पर इम्पोर्ट नहीं हो पाया है। उचित होगा कि रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची व अर्थदण्ड की नोटिस जनरेट करने के पूर्व Export / Import चलाने की कार्यवाही कर ली जाये। यदि किसी कार्यालय में कनेक्टिविटी चालू नहीं है तो वेबसाइट से ई-रिटर्नों की सूची डाउनलोड करके रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची को अन्तिम रुप दिया जाये।

4- VYAS के नये वर्जन में व्यापारियों के पंजीयन की प्रास्थिति (निरस्तीकरण, निलम्बन व restoration) तथा फर्म की साझीदारी व व्यापार की वस्तुओं आदि में किए गये परिवर्तन को सीधे केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड करने की व्यवस्था की गयी है ताकि व्यापारी की वास्तविक प्रास्थिति एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित व्यापारी की प्रास्थिति में कोई अन्तर न रहे। इस हेतु व्यापारी के पंजीयन में परिवर्तन के विवरण स्थानीय सर्वर में अपडेट करने के साथ-साथ एक फाइल जनरेट करने की व्यवस्था की गई है जिसे केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड करके वेबसाइट पर पदर्शित विवरण को भी अद्यावधिक रखा जा सकेगा।

इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि व्यापारी के पंजीयन में किये गये समस्त परिवर्तनों को स्थानीय सर्वर में अपडेट करने तथा केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड करने का कार्य पंजीयन प्रकोष्ठ का होगा। पंजीयन अधिकारी इस कार्य हेतु पंजीयन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी व एक कर्मचारी को नामित करेंगे जो प्रतिदिन सांय 5 बजे स्थानीय सर्वर को अपडेट करने के साथ-साथ इसकी फाइल केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड करने का भी कार्य करेंगे।

इस सन्दर्भ में यह भी निर्देश दिए जाते हैं, कि वर्तमान में चूँकि पंजीयन निरस्तीकरण, निलम्बन व restoration का कार्य खण्ड के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, अत: खण्डाधिकारी किसी भी दिन इस सम्बन्ध में किए गये आदेशों की सूचना अपरान्ह 3 बजे तक पंजीयन प्रकोष्ठ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। पंजीयन प्रकोष्ठ के अधिकारी इन सूचनाओं के आधार पर उसी दिन विवरणों को अपडेट / अपलोड करने का कार्य सम्पन्न करायेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।